चुनाव सुधार

- एक जीवंत लोकतंत्र के लिये आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिये अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट पर चुनाव जीतते हैं।
- एक जीवंत लोकतंत्र में मतदाता को उम्मीदवारों को चुनने का या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिये जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे।
- भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा चुनाव लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से नियंत्रित राजनीति का सबसे खास हिस्सा है।
- लोकतंत्र में लोक की बात उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। प्रतिनिधि चुनने का काम चुनावों के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया को लोकतंत्र की नींव भी कहा जा सकता है। यदि नींव सशक्त होगी, तभी लोकतंत्र का भी सशक्तिकरण हो पाएगा।
- वर्तमान समय में लोकतंत्र की यह बुनियाद बहुत मजबूत नहीं दिखती है। इसका कारण निर्वाचन प्रक्रिया का अत्यधिक खर्चीला होना तथा इस प्रक्रिया में कुछ नीतिगत खामियां भी हैं, जो लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रही हैं।

चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों?

- राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है।
- क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सातवें बड़े देश और दूस<mark>री</mark> सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य <mark>है</mark>।
- इस प्रक्रिया में लाखों मतदान कार्यकर्त्ता, पुलिस और सुरक्षा कर्मी शहरों, कस्बों, गाँवों और बस्तियों में तैनात होते हैं।
 मिहलाओं ने 2014 के चुनाव में आधे राज्यों में मतदान केंद्रों पर पुरुष आबादी की अपेक्षा लगभग 65% मिहला मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल कर इतिहास बनाया था।
- हाला<mark>ँकि अ</mark>भी भी <mark>महिलाओं का संसद में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। आधी आबादी होने के बावजू<mark>द लो</mark>कसभा में इनकीउ<mark>प</mark>स्थिति लगभग 12 प्रतिशत है।</mark>
- इस बार लोकसभा के <mark>चुनाव में 18 से 19 वर्ष के बीच की आयु वाले लगभग डेढ़ करोड़ यु</mark>वा मतदाता होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। यह चु<mark>नाव आयोग के सामने बिल्कुल नई चुनौती होगी क्योंकि पुराने मतदाताओं की तुलना में यह</mark> वर्ग अधिक शिक्षित और तक<mark>नीक से युक्त</mark> है।
- इतना ही नहीं, अब आयोग को चुनाव प्रचार की तेजी से बदलती शैली से भी जूझना होगा।
- पहले के चुनाव में पोस्टर-बैनर का इस्तेमाल आम बात थी पर अब लगभग 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास स्मार्ट फोन हैं और इतने ही लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लगभग 30 करोड़ लोक फेसबुक पर हैं, लगभग 20 करोड़ वाट्सएप पर हैं और तकरीबन 3 करोड़ लोग ट्विटर पर हैं।
- इन प्लेटफॉर्म का संभावित दुरुपयोग रोकना चुनाव आयोग के लिये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

राजनीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

धन का प्रभाव

- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार, ट्रांसपोर्ट पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
- चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है।
- पिछले कुछ वर्षों में कानून-सम्मत और असल खर्चों के बीच अंतर काफी बढ़ा है।

अपराधियों का राजनीतिकरण

- अपराधी प्रभाव और जनता में पैठ बनाने के लिये राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरी कोशिश करते हैं कि उनके
 खिलाफ मामलों को समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्यवाही न की जाए।
- इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और प्रभाव के लिये इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

गैर-गंभीर स्वतंत्र उम्मीदवार

- इन्हें किसी भी गंभीर उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदवियों द्वारा बड़े पैमाने पर उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सकें।

जातिवाद

- ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जाित या समूह से आते हैं। ये जाित, समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं कि
 उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाित की संख्या के मुताबिक टिकट दिये जाएँ।
- जाति आधारित राजनीति देश की बुनियाद और एकता पर प्रहार कर रही है और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है तथा अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति और समुदाय के आधार पर होता है।
- **सांप्रदायिकता व राजनीति में नैतिकता की कमी** स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता व धार्मिक कट्<mark>टरवा</mark>द की राजनीति के कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, बहुलवाद व पंथ निरपेक्षता के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। राजनीतिक दलों में, सेवा मूल्यों व नि:स्वार्थ कर्तव्य की भावना न होने से आम <mark>मतदाता</mark>ओं का राजनेताओं से विश्वास कम हुआ है।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिये सुशासन की अनिवार्य अवधारणाओं में शामिल है। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति तथा के. संस्थानम समिति चुनाव सुधार के लिये लाए गए कुछ प्रमुख समितियों के उदाहरण है। इनकी प्रमुख सिफारिशों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है।

तारकुंडे समिति की सिफारिशें-

- वय<mark>स्क म</mark>ताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। इसे संविधान के 61वें संशोधन द्व<mark>ारा मूर्त</mark> स्वरूप प्रदान किया गया।
- निर्वाचन के लिये अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण करना।
- राजनै<mark>तिक द</mark>लों द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना।
- चुना<mark>व प्रत्या</mark>शी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करें।

दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें-

- बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस <mark>वोटिंग जैसी समस्याओं, अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुन</mark>ः मतदान की व्यवस्था हो।
- मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक <mark>वोटिंग मशीन का इस्तेमाल।</mark>

इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशें-

- लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए।
- ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं, को चुनावों में आर्थिक सहायता न दी जाए।
- 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो।

के. संथानम समिति की सिफारिशें-

- निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अहर्ता की व्यवस्था, सभी राजनीतिक दलों का निबंधन, समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा निर्वाचन मंडलों के अंदर आने वाले नागरिकों की नामवली को अद्यतन बनाया जाए।
- विधि आयोग ने राइट टू रिकॉल के अधिकार की मांग तथा उपर्युक्त में से कोई नहीं (नोटा) की सिफारिश
- विधि आयोग ने देश की वर्तमान आर्थिक दशा को देखते हुए सरकार की ओर से चुनावी खर्च का भी समर्थन नहीं किया है।

चुनाव सुधार हेतु चुनाव आयोग ने निम्न कदम उठाए हैं-

- सन 1989 में मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जिससे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई एवं युवा प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिला।
- चुनावी खर्च सीमा में बढ़ोत्तरी कर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम खर्च सीमा में वृद्धि कर व्यावहारिक खर्चों की राह को आसान किया।
 - <u>चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार की सीमा को 3 सप्ताह से घटाकर 2 सप्ताह कर दिया है।</u>

- चुनावों को अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए आयोग ने अदालत द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा पाए आरोपियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का काम किया है।

- आयोग ने आईटी क्षेत्र की मदद से पोलिंग की निगरानी, पार्टियों के बैंक खातों के निरीक्षण, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया है।
- चुनावों के दौरान एक्जिट पोल पर रोक लगाना, पोलिंग के लिए ईवीएम मशीन के प्रयोग तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची ने भी मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावनाओं को कम किया है।

सरकार, न्यायालयों और चुनाव आयोग द्वारा किये गए प्रयास चुनाव सुधार और समितियाँ

- दिनेश गोस्वामी समिति-चुनाव सुधार पर
- 2. वोहरा समिति राजनीति के अपराधीकरण पर
- 3. इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर बनी।
- 4. एमएन वैंकट चलैया समिति विधि आयोग, चुना<mark>व आ</mark>योग, संविधान की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट।
- वीरप्पा मोइली सिमिति -शासन में नैतिकता पर बनी।
- एपी शाह समिति विधि आयोग की रिपोर्ट पर बनी।

हालाँकि सरकार ने इन सिफारिशों को केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

मतदान की आयु कम हुई

- संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।

EVM का प्रचलन में आना

- अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रचलन में आना शामिल हैं। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्रत रूप से सत्यापित किया जा सके।
- राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिये प्रस्तावों की संख्या को 50 किया गया।
- दो से अधिक निर्वाचन क्षे<mark>त्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवार की मौत पर</mark> चुनाव का स्थगित न होना। **पिंक बूथ**
- चुनाव आयोग ने 2018 में सुधारो<mark>ं के तहत एक और नवीन प्रयोग किया। इसका उद्देश्</mark>य था महिला मतदाताओं को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिये प्रेरित करना।
- इन पोलिंग बूथों पर तैनात सभी कर्मचारी जिनमें पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी भी शामिल हैं, सभी महिलाएँ होती हैं यहाँ तक की सुरक्षाकर्मी भी महिलाएँ होती हैं।

सन् 2000 के बाद का चुनाव सुधार

- एक्जिट पोल पर प्रतिबंध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान एक्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकता है।
- चुनावी खर्च पर रोक लोकसभा सीट के लिये चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख कर दिया गया हे वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख तक है।
- पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमित के बाद पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमित है।
- 4. जागरूकता और प्रसार युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 5. नोटा
- 2013 से नोटा व्यवस्था (None of the Above) लागू करना। नोटा का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी नन

ऑफ द एबव (None of the above) यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है।

निष्कर्ष

साफ-सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

लोकतंत्र के प्रभावी उपकरण के रूप में निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था की महती भूमिका होती है। भारत में चुनाव सुधार हेतु समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, लेकिन इनकी सिफारिशों से आंशिक चुनाव सुधार ही हो पाये हैं, इस कथन का विश्लेषण कीजिये।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

चुनाव सुधार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिये

- 1. बूथ कैपचरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं के लिए इंद्रजीत गुप्त समिति का गठन किया गया।
- 2. विधि आयोग द्वारा राइट टू रिकॉल तथा नोटा जैसे प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं।
- 3. 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र को 18 वर्ष किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है?
- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी